

भारतीय मानक ब्यूरो

ट्यूशन फीस की वापसी

FI

4

विभाग/अनुभाग	दिनांक											
नाम	पदनाम											
कर्मा सं.	मूल वेतन											
बैंक का नाम	बैंक खाता सं.											
<p>1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे विवरित किए गए जिन बच्चों/बच्चे के लिए ट्यूशन फीस की वापसी की माँग की जा रही है, वे मुझ पर पूर्णतया आश्रित हैं/हैं</p>												
बच्चे का नाम	जन्म तिथि	स्कूल जहाँ पढ़ रहा है	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	वास्तविक देय मासिक ट्यूशन फीस	दी गई वास्तविक ट्यूशन फीस							
					से	तक						
2. प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे/प्रत्येक बच्चे के समकक्ष दशाए गए ट्यूशन फीस की भुगतान वास्तविक रूप से संस्था(ओं) के संलग्न प्रमाण पत्र(त्रों) के अंतर्गत कर दी गई है												
3. प्रमाणित किया जाता है कि :												
i) मेरी पत्नि/मेरे पति केन्द्रीय सरकारी सेवक है/नहीं हैं												
ii) मेरी पत्नि/मेरे पति केन्द्रीय सरकारी सेवक है/हैं परन्तु वे हमारे बच्चे/बच्चों की फीस के वापसी की कोई माँग नहीं करेंगे												
iii) मेरी पत्नि/मेरे पति (केन्द्रीय सरकार के अलावा नियुक्तिकर्ता विवरित करें) के साथ नियुक्त हैं हमारे बच्चे/बच्चों के संदर्भ में ट्यूशन फीस की भरपाई की माँग करने के लिए वे अधिकृत हैं/नहीं हैं/												
4. प्रमाणित किया जाता है कि इस माँग के अवधि के दौरान, बच्चे/बच्चों ने स्कूल में निरंतर उपस्थित हुए हैं और एक माह से अधिक की अवधि की छुट्टी को स्कूल(लों) के बिना अनुमति के अपने-आप को अनुपस्थित नहीं किया है												
5. प्रमाणित किया जाता है कि विवरित बच्चा/बच्चे उसी कक्षा में दो से अधिक वर्ष तक पढ़ाई नहीं कर रहा है/रहे हैं												
6. प्रमाणित किया जाता है कि मैं या मेरी पत्नि/मेरे पति उपरोक्त बच्चों से संबंधित बच्चों के शैक्षिक भत्ते के भरपाई की माँग नहीं की है और माँग नहीं करेंगे												
7. ट्यूशन फीस के भरपाई की मेरी योग्यता को प्रभावित करने वाले उपरोक्त विवरण में किसी परिवर्तन के मामले में, तुरंत सूचित करने के लिए और अधिक भुगतान, यदि कोई की गई हो, की वापसी करने ले लिए भी मैं वचनबद्ध हूँ												
विभागीय प्रमुख	हस्ताक्षर											
नोट: इस प्रमाणक के साथ स्कूल के प्रमुख द्वारा प्रदान की जाने वाले प्रमाणक के फार्म को संलग्न पाएँ												
वित्त विभाग में उपयोग हेतु- संदर्भ:												
स नि/उ नि (प्र एवं वि)	अनुभाग अधिकारी											